षोडश बिहार विधान सभा

तृतीय सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-03 मंगलवार, दिनांक- 02 अगस्त, 2016 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.10 बजे अप० तक

[1] प्रश्नोत्तर काल :-

(i) 03 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।

(ii) 02 अल्पसूचित प्रश्न अनागत ।

(iii) 10 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।

(iv) 01 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ ।

(v) 105 तारांकित प्रश्न अनागत ।

[2] कार्य स्थगन :-

माननीय सदस्य श्री ललन पासवान, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री विद्या सागर केशरी, श्रीमती भागीरथी देवी, श्री रामप्रीत पासवान, श्री सी०एन० गुप्ता, श्री जिवेश कुमार, श्री विजय कुमार खेमका, श्री कृष्ण कुमार ऋषि, श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव एवं श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह से प्राप्त कार्य स्थगन सूचना के नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा अमान्य किए जाने की घोषणा की गई ।

[3] शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचनान्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया :-

(i) श्री राजकुमार राय

(ii) श्री मुन्द्रिका सिंह यादव

(iii) श्री समीर कुमार महासेठ

(iv) श्री सुबोध राय

(v) श्री मो० नवाज आलम

(vi) श्री अमीत कुमार

(vii) श्री आनंद शंकर सिंह

(viii) श्री विनोद प्रसाद यादव

(ix) श्री भाई बीरेन्द्र

(x) डॉ० रामानुज प्रसाद

(xi) श्री महबूब आलम

(xii) श्री सुदामा प्रसाद

(xiii) डॉ० राजेश कुमार

[4] **ध्यानाकर्षण सूचना :-**

(i) श्री यदुवंश कुमार यादव एवं अन्य सभासदों का समाज कल्याण विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण की सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय मंत्री, श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा द्वारा उत्तर के लिए समय लिया गया ।

''इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गए ।''

आसन द्वारा उनसे अनुरोध किया गया कि वे अपने सीट पर जाकर अपनी बातों को कहे, किन्तु सदन में शान्ति कायम नहीं हो सकी और सभा की बैठक 02.00 बजे अप० तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अप० से 4.35 बजे अप० तक)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

[5] **विधायी कार्य :- राजकीय विधेयक :-**

(i) **बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016 :-**

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री नीतीश कुमार (मुख्यमंत्री) द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डश: विचार के क्रम में सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री नीतीश कुमार (मुख्यमंत्री) द्वारा स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

स्वीकृति के प्रस्ताव पर माननीय नेता विरोधी दल, श्री प्रेम कुमार द्वारा पक्ष रखा गया ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा सरकार की ओर से पक्ष रखा गया ।

विधेयक सर्वसम्मति से सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(ii) **बिहार विधि निरसन (जो आवश्यक अथवा सुसंगत नहीं रह गये हैं) विधेयक, 2016 :-**

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री नीतीश कुमार (मुख्यमंत्री) द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डश: विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री नीतीश कुमार (मुख्यमंत्री) द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री नंद किशोर यादव द्वारा स्वीकृति के प्रस्ताव पर पक्ष रखा गया ।

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री नीतीश कुमार (मुख्यमंत्री) द्वारा सरकार का पक्ष रखा गया ।

विधेयक सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।।

(iii) **बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 :-**

माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री अशोक चौधरी द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विचार के प्रस्ताव के स्वीकृति उपरांत खण्डश: विचार के क्रम में सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री नंद किशोर यादव द्वारा विधेयक के स्वीकृति के प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखा गया ।

माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा सरकार की ओर से पक्ष रखा गया ।

विधेयक सदन द्वारा स्वीकृत हुआ । ।

(iv) **<u>बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016</u> :-**

माननीय मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, श्री विजय कुमार सिन्हा एवं श्री विद्या सागर केशरी द्वारा विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव दिया गया । श्री संजय सरावगी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित करने का प्रस्ताव दिया गया । माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में श्री संजय सरावगी का खंड-3 में 2, खंड-6 में 1 एवं खंड-7 में 1 तथा श्री विजय कुमार खेमका का खंड-3 में 1 संशोधन का प्रस्ताव बारी-बारी से सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय नेता विरोधी दल, श्री प्रेम कुमार द्वारा स्वीकृति के प्रस्ताव पर पक्ष रखा गया ।

माननीय मंत्री द्वारा सरकार की ओर से पक्ष रखा गया ।

विधेयक 51 के विरूद्ध 151 मतों से सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(v) **<u>बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन विधेयक, 2016</u> :-**

माननीय प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग, श्री जय कुमार सिंह द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग द्वारा स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय नेता विरोधी दल, श्री प्रेम कुमार द्वारा विधेयक के स्वीकृति के प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखा गया ।

माननीय प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग द्वारा सरकार की ओर से पक्ष रखा गया ।

विधेयक सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

सदन की सहमति से कार्य की समाप्ति तक सदन के अवधि के विस्तार की घोषणा आसन से की गई ।

(vi) **<u>बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) विधेयक, 2016</u> :-**

माननीय प्रभारी मंत्री, परिवहन विभाग, श्री चन्द्रिका राय द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री विजय कुमार खेमका एवं श्री विद्या सागर केशरी द्वारा विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव दिया गया । माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री तारकिशोर प्रसाद, श्री जिवेश कुमार तथा श्री विद्या सागर केशरी द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित करने का प्रस्ताव दिया गया । माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका एवं श्री मिथिलेश तिवारी द्वारा विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव दिया गया । माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री, परिवहन विभाग द्वारा स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय नेता विरोधी दल, श्री प्रेम कुमार द्वारा विधेयक के स्वीकृति के प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखा गया ।

माननीय प्रभारी मंत्री, परिवहन विभाग द्वारा सरकार की ओर से पक्ष रखा गया ।

विधेयक सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(vii) **बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 :-**

माननीय प्रभारी मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, श्री अवधेश कुमार सिंह द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी एवं श्री मिथिलेश तिवारी द्वारा विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव दिया गया । माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी द्वारा विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति में सौंपने का प्रस्ताव किया गया एवं पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में श्री संजय सरावगी का खंड-10 में 1 एवं खंड-12 में 1 संशोधन बारी-बारी से सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय नेता विरोधी दल, श्री प्रेम कुमार द्वारा विधेयक के स्वीकृति के प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखा गया ।

माननीय प्रभारी मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा सरकार की ओर से पक्ष रखा गया ।

विधेयक सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(viii) **बिहार कृषि विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2016 :-**

माननीय प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग, श्री राम विचार राय द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विनार के क्रम में सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय नेता विरोधी दल, श्री प्रेम कुमार द्वारा विधेयक के स्वीकृति के प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखा गया ।

माननीय प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग द्वारा सरकार की ओर से पक्ष रखा गया ।

विधेयक सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

[6] निवेदन :-

आसन से घोषणा की गई कि आज के लिए स्वीकृत कुल 42 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जाएगें ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 03 अगस्त, 2016 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना

दिनांक-02 अगस्त, 2016

राम श्रेष्ठ राय

सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।